राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-Shgcell.we@rajasthan.gov.in

कमांक एफ 19( )( )DWE/SHG/BA 120/RS-CFA/2024-25 दिनांक

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
"महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CFA
(Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) प्रशिक्षण"

परिपत्र

उद्देश्य –

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। वर्तमान में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में बिलींग से लेकर अकाउन्टिंग तक का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से हो रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् इसमें उतरोत्तर वृद्धि हुई है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों ताकि निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। चूंकि जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात् व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन के जानकारों की मांग बढ़ी है। अतः मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से **RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled)** का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पाठ्यक्रम एवं पात्रता–

योजना के अंतर्गत **RKCL** के माध्यम से **RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled)** का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोर्स का संक्षिप्त विवरण शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

➢ **कोर्स का संक्षिप्त विवरण** :–

- कम्प्यूटर पर अकाउन्टिंग का ज्ञान (Using Tally Software)
- सैद्धान्तिक एवं कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (CBT)
- **Tally, ERP** 9 वर्जन आधारित कोर्स

RajKaj Ref
12145508
Validity unknown Signature valid
Digitally signed by Neetu Rajeshwar
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.04 17:29:44 IST
Reason: Approved

➢ प्रशिक्षण अवधि :—

- 100 घंटे (2 घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन)

➢ **<u>आयु :—</u>**

- 16—40 वर्ष (प्रशिक्षणार्थी जिस वर्ष प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है उस वर्ष की 1 जनवरी को वह उपरोक्तानुसार आयु सीमा में होना आवश्यक है)।

➢ **<u>शैक्षणिक योग्यता :—</u>**

- कक्षा 12वीं उत्तीर्ण।

<u>आवेदन प्रकिया—</u>

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा **RS-CFA** कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक ई—मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। योजना की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

<u>चयन प्रकिया—</u>

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरीयता सूची तैयार कर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता लॉगिन में उपलब्ध वरीयता सूची की जांच कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑन लाईन चयन करेंगे उक्त हेतु RKCL के प्रतिनिधि का सहयोग लिया जा सकता है। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नलिखित वरीयता के आधार पर किया जाएगा—

1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता
2. हिंता से पीडित महिला।
3. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है।
4. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है।
5. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है।

RajKaj Ref
12145508

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by N u Rajeshwar
Designation : Com sioner
Date: 2024.12 :29:44 IST
Reason: Approv

उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात शेष रही सीटों हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान प्राप्तांक की स्थिति में अधिक उम्र वाले वाले प्रशिक्षणार्थीयों को वरीयता दी जाएगी।

आवंटित सीटों में से 18% सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सम्बन्धित वर्ग में अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य से भरा जाएगा।

प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान शैक्षिणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज –

निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं–

1) आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
2) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तातिका तथा कक्षा 12 वी राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में कक्षा 12 वीं का प्रमाण–पत्र।
3) स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।
4) विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
5) हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफ.आई.आर. की प्रति घरेलू हिंसा से संरक्षण, अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला, सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र/सखी वन स्टॉप सेन्टर पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।
6) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण–पत्र।

नोटः क्रम संख्या 1) एवं 2) पर वर्णित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सभी श्रेणियों के आवेदकों को लगाना आवश्यक है।

प्रशिक्षणार्थियों के आई. टी. ज्ञान केन्द्र वार चयन के उपरांत आर.के.सी.एल. द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों के मोबाईल/ई–मेल आईडी पर रेफरेन्स नम्बर एवं आई.टी. ज्ञान केन्द्र (जिस हेतु प्रशिक्षणार्थी का चयन हुआ है) की सूचना दी जायेगी जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी संबंधित आई. टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु रिर्पोटिंग करेगें एवं बायोमेट्रिक पंजिकरण करवाएगें।

RajKaj Ref
12145508

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by N[illegible]u Rajeshwar
Designation : Com[illegible]ssioner
Date: 2024.12.[illegible]:29:44 IST
Reason: Approv[illegible]

प्रशिक्षण–

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. द्वारा उनके चिन्हित आई. टी. ज्ञान केन्द्रों पर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायो मैट्रिक मशीन से की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को नियमित रूप से आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। 65% से कम बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने वाले प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं होंगे एवं उन्हें प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को Tally Solutions Pvt. Ltd द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भाग लेना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थियों को Rajasthan Knowledge Corporation Limited एवं Tally Solutions Pvt. Ltd द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

भुगतान–

योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा RKCL को दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त का भुगतान उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों हेतु किया जाएगा जिनका लर्नर कोड जारी किया गया है एवं बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन है। प्रथम किश्त अन्तर्गत RS-CFA प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क रु 7200 प्रति संभागी का 50% राशि रू 3600 का भुगतान किया जाएगा। द्वितीय किश्त के रूप में शेष 50% राशि रु. 3600 का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्ण होने, आई टी ज्ञान केन्द्रों द्वारा जनप्रतिनिधि से प्रशिक्षण के उद्घाटन/निरीक्षण/समापन करवाने एवं 65%से अधिक बायोमैट्रिक उपस्थिति होने पर किया जाएगा। योजनान्र्तगत दोनों किस्तों का भुगतान जिला स्तर पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण –

प्रशिक्षण का निरीक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा एवं निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। राज्य स्तर पर योजना का पर्यवेक्षण आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।

(नीतू राजेश्वर)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
12145508

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Neetu Rajeshwar
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.[illegible] [illegible]:29:44 IST
Reason: Approved

कमांक एफ 19( )( )DWE/SHG/BA 120/RS-CIT/2024-25 **दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री महोदया, मबावि, राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, समस्त ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
7. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉपर्पोरेशन लि. (**RKCL**) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
10. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।
11. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
12. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

RajKaj Ref
12145508

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by N[illegible]u Rajeshwar
Designation : Com[illegible]sioner
Date: 2024.12[illegible]:29:44 IST
Reason: Approv[illegible]